प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 25 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राधेश उर्फ राजेश पुत्र श्री छटकी उर्फ मूलचंद, निवासी जनपद-गाजियाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-35274/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-25.08.2025) दिनांक-08-09-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राधेश उर्फ राजेश पुत्र श्री छटकी उर्फ मूलचंद, जो बझेडा कला, थाना-धौलाना, जनपद-गाजियाबाद, हाल पता-डेरा जादौपुर, थाना-मंसूरी, जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। प्रथम केस दिनांक 19.04.2008 को बन्दी ने कु० लक्ष्मी उम्र 08 वर्ष के साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। द्वितीय केस-शादी में व्यवधान डालने को लेकर आपस में हुयी लड़ाई झगड़े की रंजिश को लेकर दिनांक 13.10.2003 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर ओमपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एस०टी नं0- 844/2008 में भा0द0वि0 की धारा- 376 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, हापुड़ (गाजियाबाद) के आदेश दिनांक 10.12.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। (2)एसटी नं0- 978, 979/ 2003, भा0द0वि0 की धारा- 302, 201 व 4/25 ए० एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपशहर (बुलन्दशहर) के आदेश दिनांक 23.03.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 22.10.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 05 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 10 माह, 27 दिन एवं द्वितीय केस-दिनांक 16.02.2023 तक अपरिहार 12 वर्ष, 01 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 04 माह, 00 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी के परिवार की समाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम केस में दिनांक 19.04.2008 को बन्दी ने कु० लक्ष्मी उम्र 08 वर्ष के साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया तथा द्वितीय केस में शादी में व्यवधान डालने को लेकर आपस में हुयी लड़ाई झगड़े की रंजिश को लेकर दिनांक 13.10.2003 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर ओमपाल नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राधेश उर्फ राजेश पुत्र श्री छटंकी उर्फ मूलचन्द को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राधेश उर्फ राजेश (बन्दी संख्या-16800) पुत्र श्री छटंकी उर्फ मूलचंद, निवासी जनपद-गाजियाबाद को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र

संयुक्त सचिव।

संख्या-819/2026/1910(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री,कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री,कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कमलेश कुमार

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-819/2026/1910/22-2-2025-17(869)/2025

दिनांक: 25 जून, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राधेश उर्फ राजेश पुत्र श्री छटकी उर्फ मूलचंद, जो बझेडा कला, थाना-धौलाना, जनपद-गाजियाबाद, हाल पता-डेरा जादौपुर, थाना-मंसूरी, जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। प्रथम केस दिनांक 19.04.2008 को बन्दी ने कु० लक्ष्मी उम्र 08 वर्ष के साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। द्वितीय केस-शादी में व्यवधान डालने को लेकर आपस में हुयी लड़ाई झगड़े की रंजिश को लेकर दिनांक 13.10.2003 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर ओमपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एस०टी नं0- 844/2008 में भा0द0वि0 की धारा-376 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, हापुड़ (गाजियाबाद) के आदेश दिनांक 10.12.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। (2)एसटी नं0- 978, 979/ 2003, भा0द0वि0 की धारा- 302, 201 व 4/25 ए० एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपशहर (बुलन्दशहर) के आदेश दिनांक 23.03.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 22.10.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 05 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 10 माह, 27 दिन एवं द्वितीय केस-दिनांक 16.02.2023 तक अपरिहार 12 वर्ष, 01 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 04 माह, 00 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी के परिवार की समाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम केस में दिनांक 19.04.2008 को बन्दी ने कु० लक्ष्मी उम्र 08 वर्ष के साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया तथा द्वितीय केस में शादी में व्यवधान डालने को लेकर आपस में हुयी लड़ाई झगड़े की रंजिश को लेकर दिनांक 13.10.2003 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर ओमपाल नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राधेश उर्फ राजेश पुत्र श्री छटंकी उर्फ मूलचन्द को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।